मध्य प्रदेश

एमएसएमई विकास नीति 2017

म. प्र. शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 16 /11/2017

क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन द्वारा संलग्न परिशिष्ट-एक अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017" तथा संलग्न परिशिष्ट-दो अनुसार "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017" जारी की जाती है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(धनंजय सिंह)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर, भोपाल,दिनांक 16/11/2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ... (समस्त विभाग)।
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।

6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।

7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।

8. संभागायुक्त..........................(समस्त)

9. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर "मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति,2017" तथा "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना,2017 " की हिन्दी की हस्ताक्षरित प्रति सहित संलग्न कर निवेदन है कि कृपया आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियाँ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

10. कलेक्टर...........................(समस्त)।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग

विषय - सूची

1.	परिचय	:	01
2.	नीति का उद्देश्य	:	02
3.	नीति केन्द्रित क्षेत्र	:	02
4.	नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र	:	02
5.	नीति के लिए शब्दावली	:	03
6.	व्यापार करने में आसानी	:	05
7.	एमएसएमई का फेसिलिटेशन	:	06
8.	एमएसएमई के लिये समर्थन	:	06
9.	स्वरोजगार	:	06
10.	स्टार्टअप और इंक्यूबेशन को सहायता	:	07
11.	औद्योगिक अधोसंरचना	:	07
12.	क्लस्टर विकास	:	08
13.	रियायतें	:	08
14.	विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन	:	11
15.	जिला स्तरीय समिति	:	11
16.	उद्योग संवर्धन नीति 2010/2014 अंतर्गत शेष सहायता	:	12
17.	लघु स्तर की बीमार औद्योगिक इकाईयों का पुनर्जीवन	:	12
18.	संशोधन/शिथिलीकरण/निरसन	:	13
19.	न्यायालय क्षेत्र	:	13
20.	परिशिष्ट-अ अपात्र इकाईयों की सूची	:	14

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2017

1. परिचय

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र देश में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए इंजन माना जाता है और यह तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। एमएसएमई प्राथमिक क्षेत्र के बाद रोजगार का सबसे बड़ा सृजक है। आज देश में सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों में से एक रोजगार सृजन है और यह तथ्य एमएसएमई क्षेत्र के विकास को सबसे महत्वपूर्ण बना देता है। मध्यप्रदेश सरकार इस पहलू को स्वीकार करती है और तदनुसार राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए अधिकतम जोर दिया जा रहा है।

राज्य में एमएसएमई की स्थापना तथा विकास हेतु एक सहायक और सक्रिय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बहु आयामी पहल राज्य में की गई है। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में एमएसएमई स्थापित हैं, जो मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों की औद्योगिक मूल्य श्रृंखला में उत्पादनकर्ताओं के रूप में कार्य करती हैं। म. प्र. में लगभग 3 लाख पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं और एमएसएमई की स्थापना में दिनोदिन वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 87,000 इकाइयों द्वारा अपने पंजीयन हेतु उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) फाईल किये गये थे, जो वित्तीय वर्ष 2015-16 में पंजीकृत UAM से लगभग दोगुने हैं। रोजगार सृजन और आर्थिक व सामाजिक विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए राज्य ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया और इन उद्देश्यों के साथ एमएसएमई के लिए समर्पित एक विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग बनाया गया है।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय और राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश ने नीतिगत पहल से कई कदम उठाए हैं। व्यापार करने की आसानी में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रगतिशील कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्यमशीलता की संस्कृति विकसित करने व नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 जारी की गई है। यह नीति राज्य में इन्क्यूबेटरों, प्लग और प्ले की सुविधाओं और स्टार्टअप की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही है और हमारे युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी प्रदाय करने वाला बनाने का सपना साकार करने में मदद कर रही है। एमएसएमई के विकास के पहलुओं पर सुझाव और सलाह देने के लिए राज्य के प्रमुख उद्योग संघों के

सहयोग से 'लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड' का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा मासिक आधार पर बैठक की जाती है।

युवा सशक्तिकरण मध्यप्रदेश सरकार के विकास के एजेंडा का केंद्र है। राज्य के युवाओं की राज्य के विकास में योगदान करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और उन्हें सफल होने के लिए सशक्त होना है। युवाओं द्वारा उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर्स योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है, जिसके तहत युवाओं को अपने उद्यम की स्थापना के लिए वित्तपोषण के साथ ब्याज अनुदान, मार्जिन मनी सहायता और क्रेडिट गारंटी का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया आदि के लिए प्रतिबद्ध हैं और राज्य में एक जीवंत एमएसएमई के विकास की प्रक्रिया में सहभागी है। इस प्रतिबद्धता के साथ, राज्य सरकार ने म. प्र. की एमएसएमई को समर्पित नीति, **"म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017"** को लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति का संपर्क राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के केंद्रित विकास की ओर जाने वाले समस्त पहलुओं से है। नीति का मसौदा उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों, विशेषज्ञों और संबंधित सरकारी विभागों सहित सभी हितधारकों की राय एवं सुझावों को लेने के बाद परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया है।

2. नीति का उद्देश्य

एमएसएमई विकास नीति का उद्देश्य रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एक सक्रिय नीति एवं विनियामक वातावरण बनाना, स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करना आदि के माध्यम से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

3. नीति केन्द्रित क्षेत्र

नीतिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस नीति के केंद्रित क्षेत्र निम्नानुसार हैं:-

(i) नीति और विनियामक ढांचे के सरलीकरण के माध्यम से व्यापार करने में सुविधा।

(ii) पात्र एमएसएमई इकाइयों को रियायतें प्रदान करने हेतु प्रक्रियात्मक सुधार।

(iii) एमएसएमई के लिए बेहतर अधोसंरचना सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव।

4. नीति की प्रभावशील अवधि एवं कार्यक्षेत्र

4.1 यह नीति दिनांक 1 अप्रेल, 2018 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील होगी।

4.2 यह नीति प्रदेश की नई एमएसएमई विकास नीति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने तक जारी रहेगी।

4.3 31 मार्च, 2018 के बाद वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई इस नीति के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी अर्थात् इस नीति के लागू होने के पश्चात् नवीन विनिर्माण इकाईयों के लिये म. प्र. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 की सुविधाओं/सहायताओं का विकल्प समाप्त होगा। 1 अप्रेल, 2018 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई, उद्योग संवर्धन नीति 2014 या इससे पहले की नीतियों, जैसी भी स्थिति हो, के तहत सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगी।

4.4 1 अप्रेल, 2018 से पहले उत्पादन प्रारंभ करने वाली विनिर्माण क्षेत्र की एमएसएमई द्वारा इस नीति की प्रभावशील अवधि में यदि गुणवत्ता के प्रमाणन हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है एवं/या पेंटेंट प्राप्त किया जाता है, तो उसे इस नीति अंतर्गत गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति एवं/या पेटेंट के लिये प्रतिपूर्ति की सहायता प्राप्त होगी।

4.5 "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017" की प्रभावशील अवधि में, पॉवरलूम का उन्नयन करने पर पॉवरलूम इकाई को सहायता प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार उक्त अवधि में निजी औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना करने वाली संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को सहायता प्रदान की जाएगी।

5. नीति के लिए शब्दावली:

(i) **नीति** से सामान्य अभिप्रेत है, "म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017"।

(ii) **एमएसएमई** से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (समय-समय पर किए गए संशोधन सहित) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम।

(iii) **इकाई** से अभिप्रेत है, एमएसएमई श्रेणी की विनिर्माण इकाई।

(iv) **स्थायी पूंजी निवेश** से अभिप्रेत है, भूमि, भवन, संयंत्र व मशीनरी और अन्य स्थिर अस्तियों में किया गया कुल निवेश।

(v) **संयंत्र और मशीनरी में किये गये निवेश** से अभिप्रेत है, मशीनों और उद्योग द्वारा औद्योगिक निर्माण प्रक्रिया को चलाने के लिए आवश्यक उपकरणों में किया गया निवेश, मशीनों के परिवहन पर हुआ व्यय, मशीनों पर जीएसटी व अन्य कर (भूमि, भवन, औद्योगिक सुरक्षा उपकरण, जनरेटर सेट, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, अनुसंधान व विकास उपकरण, अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, स्टोरेज टैंक, गोदाम और अग्निशमन उपकरणों में किये गये व्यय को छोड़कर)। यह निवेश इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व का मान्य होगा।

(vi) **नई औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत है, एमएसएमई श्रेणी की ऐसी विनिर्माण इकाई, जो मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में स्थापित हो एवं जिसमें दिनांक 01.04.2018 को अथवा उसके पश्चात् परंतु इस नीति को शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो।

(vii) **विद्यमान औद्योगिक इकाई** से अभिप्रेत, एमएसएमई श्रेणी की ऐसी विनिर्माण इकाई से है, जिसमें दिनांक 01.04.2018 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस नीति के राज्य शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हो।

(viii) **वाणिज्यिक उत्पादन की दिनांक** से अभिप्रेत, इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय के दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय के देयक के दिनांक से है।

(ix) **पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश** से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा विद्यमान औद्योगिक इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश, जो भी अधिक हो, से होगा।

(x) **पूर्व स्थापित क्षमता** से अभिप्रेत, विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के वार्षिक उत्पादन का औसत या विद्यमान औद्योगिक इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।

(xi) **जीएसटी** से अभिप्रेत, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में परिभाषित 'राज्य कर' से है।

(xii) **गुणवत्ता प्रमाणीकरण** से अभिप्रेत, एमएसएमई की गुणवत्ता प्रमाणीकरण हेतु तीसरे पक्ष की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रदाय आईएसओ, जीएमपी और सीजीएमपी प्रमाणपत्रों से है।

(xiii) **वैण्डर** से अभिप्रेत, ऐसी विनिर्माण एमएसएमई से है, जो निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में एक मध्यम/वृहद स्तर की इकाई के लिए अपने उत्पादों को बेचने का इरादा रखती है।

(xiv) **एंकर यूनिट** से अभिप्रेत, निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में एक मध्यम/वृहद स्तर की इकाई से है, जो राज्य के एमएसएमई से उत्पादों को खरीदने का इरादा रखती है।

(xv) **अंशदायी भविष्य निधि** से अभिप्रेत, अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) के अनुसार परिभाषित अंशदायी भविष्य निधि से है।

(xvi) **पेटेंट** से अभिप्रेत, पेटेंट अधिनियम, 1970 (समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित) में परिभाषित और या अंतर्निहित पेटेंट से है।

(xvii) **उद्योग संचालनालय** से अभिप्रेत मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधीन उद्योग संचालनालय से है।

6. व्यापार करने में आसानी

राज्य के उद्योगों के संवर्धन तथा विकास हेतु निरंतर नियामक सुधार और प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से म. प्र. शासन द्वारा मध्य प्रदेश में कारोबारी माहौल को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पहल की गई हैं। सरकार द्वारा एमएसएमई को राज्य में कारोबार करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं में सुधारों के प्रयासों को एमएसएमई विभाग निरंतर रखेगा। एमएसएमई के लिए सेवाओं में सुधारों के प्रयासों के तहत अब तक निम्न कदम लिये गये हैं:

6.1 एमएसएमई से संबंधित विभिन्न विभागों की बड़ी संख्या में सहमति/अनुमतियाँ ऑनलाइन कर दी गई हैं।

6.2 श्रम कानूनों के पुराने प्रावधानों में प्रक्रियाओं का तार्किक सरलीकरण कर संशोधन किया गया है।

6.3 लघु उद्योगों को श्रम कानूनों के अनुसार रियायत दी गई है ताकि वे कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें।

6.4 म. प्र. शासन द्वारा लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है, जिसमें राज्य के लघु उद्योगों के संवर्धन हेतु सुझाव व सलाह प्रदान करने के लिए राज्य के प्रमुख औद्योगिक संघों को शामिल किया गया है।

6.5 एमएसएमई के लिए भू-आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

6.6 शासकीय विभागों में एमएसएमई प्रदायकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें क्रय प्राथमिकता देने के लिए राज्य भंडार क्रय नियम को संशोधित किया गया है।

7. एमएसएमई का फेसिलिटेशन

7.1 एमएसएमई व्यापार सुविधा केंद्र (MBFC)

एमएसएमई को फेसिलिटेशन प्रदान करने के लिये, उद्योग आयुक्त के कार्यालय के लिए एक सैल का गठन किया गया है और इस सैल के माध्यम से कंसलटेंट राज्य भर में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्दों में प्रतिनियुक्त किये गये हैं ताकि सभी संभव हैण्डहोल्डिंग सहायता एमएसएमई तक पहुंचाई जा सके। इस सैल के द्वारा राज्य में एमएसएमई विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

7.2 परिवाद के समाधान के लिए संस्थागत उपाय

सरकारी एजेंसियों द्वारा भुगतान में देरी के कारण एमएसएमई के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों को दूर करने के लिए एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्य प्रदेश सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फसिलिटेशन काउंसिल (MSEFC) का गठन किया गया है। काउंसिल द्वारा राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों परिवाद के समाधान के लिए अपनी सेवाएं दी जा रही हैं।

8. एमएसएमई के लिए समर्थन

8.1 विभिन्न उपायों के माध्यम से राज्य सरकार वैण्डर और एंकर इकाइयों के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करेगी तथा सहूलियतें प्रदान करेगी।

8.2 लीन विनिर्माण, ऊर्जा संरक्षण, अनुपालन कोड, उत्पाद डिजाइन और विकास, गुणवत्ता प्रमाणन, आईटी का उपयोग, उत्पाद विविधीकरण और उन्नयन, पैकेजिंग और बार-कोडिंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को राज्य सरकार प्रोत्साहित करेगी तथा सहूलियतें प्रदान करेगी।

9. स्वरोजगार

9.1 युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाने के उद्देश्य से, एमएसएमई विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नामक स्वरोजगार योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के लाभों को पात्र एवं जरूरतमंद युवाओं तक पहुंचना सुनिश्चित करने हेतु विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

9.2 मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के चयनित लाभार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनीयों में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा।

9.3 स्वरोजगार के लिए आसानी से सुलभ नि:शुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया जाएगा।

10. स्टार्ट-अप और इंक्यूबेशन को सहायता

राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और प्रारंभिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने "म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016" तथा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 'म. प्र. इंक्यूबेशन और स्टार्टअप संवर्धन योजना 2016' जारी की गयी है।

11. औद्योगिक अधोसंरचना

11.1 एमएसएमई विभाग द्वारा एमएसएमई विकास नीति 2017 के अनुरूप नवीन भू-आवंटन और भू-प्रबंधन नियम लाया जाएगा।

11.2 मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को मांग अनुसार एमएसएमई विभाग के आधिपत्य की अविकसित भूमि आवंटित करने हेतु नियमों में प्रावधान किया जाएगा।

11.3 भविष्य में विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए एमएसएमई विभाग शासकीय भूमि के "लैंड बैंक" को बढ़ाएगा/विस्तार करेगा।

11.4 राज्य शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विहीन जिलों में एमएसएमई के लिये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

11.5 एमएसएमई के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

11.6 औद्योगिक संघों को निजी भागीदारी के माध्यम से संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण का अवसर दिया जाएगा।

11.7 इकाइयों को भू-आवंटन की प्रक्रिया में गति लाने के लिए एक ऑनलाइन भू आवेदन और आवंटन प्रणाली सुदृढ़ की जाएगी।

11.8 मध्य प्रदेश राज्य में एमएसएमई के संबंध में समस्त आवेदन प्रक्रिया और भू-आवंटन एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

12. क्लस्टर विकास

12.1 राज्य सरकार समस्त राज्य में क्लस्टरों के विकास के लिए सहायता प्रदान करेगी। इस सहायता के अंतर्गत बहुमंजिला औद्योगिक परिसर, सार्वजनिक अधोसंरचना और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास शामिल होगा।

12.2 राज्य सरकार क्लस्टर विकास के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत उपलब्ध सहायता प्राप्त करने हेतु प्रयास करेगी। एक क्लस्टर विकास समन्वय समिति (CDCC) इस दिशा में पहल की निगरानी के लिए उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित की जाएगी।

12.3 क्लस्टरों के विकास में राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता देने हेतु योजना तैयार की जाएगी।

12.4 एमएसएमई विभाग के भीतर एक समर्पित क्लस्टर विकास सैल भी स्थापित किया जाएगा। क्लस्टर विकास सैल राज्य में क्लस्टर विकास हेतु प्रारंभ किये गये कार्यो के प्रभावी समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

13. रियायतें

13.1 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल औद्योगिक इकाई के लिए उपलब्ध होंगी। इस नीति की कण्डिका 13.8.6 में दी गई सहायता पॉवरलूम इकाई को तथा कण्डिका 13.8.2.2 में दी गई सहायता संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक को दी जाएगी।

13.2 नीति के क्रियान्वयन हेतु उद्योग संचालनालय, म. प्र. नोडल ऐजेन्सी होगा, जो अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से रियायतें प्रदान करेगा।

13.3 औद्योगिक इकाई को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 अंतर्गत उद्योग आधार ज्ञापन फाइल करना और 'मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017' (जीएसटी अधिनियम) अंतर्गत पंजीयन कराना सहायता/सुविधा प्राप्त करने के लिये आवश्यक होगा। साथ ही विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के प्रकरणों में पूर्व से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी पृथक से विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन हेतु पंजीयन कराना होगा। किसी कंपनी /फर्म या संस्था का जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन होने पर भी उसकी इकाई को इस नीति अंतर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पृथक से जीएसटी अधिनियम अंतर्गत पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

13.4 किसी भी मामले में, इकाई को रियायतों की कुल राशि इकाई द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी और रियायत प्राप्त इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से पांच वर्ष तक कार्यरत रहना आवश्यक होगा।

13.5 यदि राज्य शासन की ऐसी एक से अधिक नीतियाँ हैं, जिनके अंतर्गत इकाई प्रोत्साहन/रियायतें प्राप्त कर सकती है, तो इकाई किसी एक नीति का चयन कर सकेगी और उसे केवल चयनित नीति अंतर्गत ही प्रोत्साहन/रियायतें लेने की पात्रता होगी।

13.6 कोई इकाई, जिसने स्वरोजगार योजनाओं के तहत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया हो, वह म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2017 के तहत किसी भी प्रोत्साहन/सहायता का लाभ लेने के लिये पात्र नहीं होगी।

13.7 हालाँकि, यदि एक इकाई इस नीति के तहत अपनी पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता का लाभ लेना चाहे तो, वह इस शर्त के अधीन ऐसा कर सकती है कि उसे प्राप्त होने वाले अनुदान उसके द्वारा किये गये स्थायी पूंजी निवेश से अधिक न हों।

13.8 **परिशिष्ट-अ** में उल्लेखित अपात्र उद्योगों को छोड़कर, मध्यप्रदेश में स्थापित इकाइयों को निम्नलिखित रियायतों की पात्रता होगी:

13.8.1 उद्योग विकास अनुदान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

13.8.2 अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता

13.8.2.1 यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है तो ऐसी इकाइयों को इकाई परिसर तक पानी, सड़क, और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख राज्य शासन द्वारा प्रदान की जाएगी।

13.8.2.2 राज्य में विनिर्माण एमएसएमई के लिये निजी औद्योगिक क्षेत्रों/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास को प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। निजी

औद्योगिक क्षेत्र/बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास में व्यय हुई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़, सहायता के रूप में निजी क्षेत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा, बशर्तें इस प्रकार विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ हो या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से कम 10000 वर्ग फीट हो और विकसित औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर में कम से कम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हों।

13.8.2.3 औद्योगिक इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा।

13.8.3 अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति

यदि न्यूनतम 10 नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में किसी इकाई द्वारा अधिकतम 1000 रूपये (प्रत्येक कर्मचारी हेतु) नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहें हों, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के नियोक्ता के अंश की शत प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिये या अधिकतम रू. 5 लाख (इनमें से जो भी कम हो) की जाएगी।

13.8.4 गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति

इकाइयों द्वारा गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रू. 3 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

13.8.5 पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति

इकाईयों द्वारा पेटेंट/आईपीआर पंजीकरण करने हेतु किए गए व्यय का शत प्रतिशत, अधिकतम 5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

13.8.6 पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता

13.8.6.1 भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के

पश्चात्, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

13.8.6.2 प्रदेश के 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूमों को उर्जा विभाग द्वारा रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जाएगी और दी गई रियायत की प्रतिपूर्ति एमएसएमई विभाग द्वारा संबंधित विद्युत वितरण कंपनी को की जाएगी।

14. विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन

14.1 सूक्ष्म व लघु स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में अपने विद्यमान निवेश का न्यूनतम 50% अतिरिक्त निवेश, जो रू. 25 लाख से कम नहीं हो, विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

14.2 मध्यम स्तर की विद्यमान औद्योगिक इकाई, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में अपने विद्यमान निवेश का न्यूनतम 30% अतिरिक्त निवेश विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन पर किया गया है, उन्हें नई औद्योगिक इकाई के समकक्ष सहायता/सुविधाओं की पात्रता होगी।

14.3 इकाई का विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के बाद संयंत्र और मशीनरी में कुल निवेश रू. 15 करोड़ से अधिक होने पर वह वृहद श्रेणी के उद्योगों हेतु सहायता/सुविधाओं के लिये पात्र होगी।

14.4 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन के प्रकरणों में उपरोक्त सुविधा इकाईयों को पूर्व स्थापित क्षमता में कमी नहीं होने की शर्त के साथ प्राप्त होगी।

14.5 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन अंतर्गत उत्पादन दिनांक से पिछले तीन वर्ष में, परंतु विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन के पूर्व की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के पश्चात, संयंत्र और मशीनरी में किए गए नवीन निवेश से किया जाएगा।

15. जिला स्तरीय समिति

पूर्व प्रचलित उद्योग संवर्धन नीतिओं अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु गठित समितिओं को समाप्त कर एक जिला स्तर की साधिकार समिति का गठन किया जाएगा, जो वर्तमान नीति के साथ-साथ पहले की नीतियों से संबंधित स्वीकृति, निगरानी आदि जैसे मामलों/मुद्दों को हल करने के लिए सक्षम होगी।

16. उद्योग संवर्धन नीति 2010/2014 के अंतर्गत शेष सहायता

ऐसी एमएसएमई इकाइयॉं, जिन्हें उद्योग संवर्धन नीति 2010/2014 के अंतर्गत वैट/सीएसटी प्रतिपूर्ति और/या प्रवेश कर में छूट की सुविधा स्वीकृत हुई हो और उनकी पात्रता अवधि 30 जून, 2017 के पश्चात् भी पात्रतानुसार शेष हो, के प्रकरणों का निराकरण शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा अनुसार किया जाएगा।

17. लघु स्तर की बीमार औद्योगिक इकाईयों का पुनर्जीवन

राज्य में संभावित व्यवहार्य बीमार इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, बीमार इकाईयों के लिए पॉलिसी पैकेज निम्नलिखित रियायतों और वित्तीय सहायता के साथ जारी रहेगा:

17.1 बीमार इकाइयों की उर्जा विभाग और किसी अन्य शासकीय बकाया की चालू देनदारियों की राशि को 5 वर्षों की अवधि के लिए आस्थगित किया जा सकेगा।

17.2 बैंकों द्वारा पुनर्जीवन हेतु प्रदान किये गये ऋण पर 5% ब्याज अनुदान, अधिकतम 25 लाख रूपये 5/7 साल की अवधि हेतु राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

17.3 सीपीएफ पर रियायत को व्यवहार्य बीमार इकाइयों तक विस्तारित किया जाएगा।

17.4 गुणवत्ता और पेटेंट पर रियायतें व्यवहार्य बीमार इकाइयों तक विस्तारित की जायेंगी।

17.5 राज्य सरकार, राज्य में संभावित व्यवहार्य बीमार इकाइयों की पहचान करेगी और बैंकों के साथ समन्वय कर एक सकल पुनर्जीवन पैकेज तैयार करेगी।

17.6 संभावित रूग्णता के लक्षण वाली इकाई को सुविधा प्रदान करने और ऋण प्रवाह की निगरानी करने के लिए उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग की अध्यक्षता में एक साधिकार समिति का गठन किया जाएगा।

17.7 साधिकार समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

(i) उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग (अध्यक्ष)

(ii) संबंधित विभाग, जिसके तहत देनदारियों को स्थगित किया जाना है, के वरिष्ठ नामित अधिकारी (सदस्य)

(iii) संबंधित बैंक शाखा के क्षेत्रीय प्रबंधक (सदस्य)

(iv) संयुक्त/उप संचालक, एमएसएमई विभाग (सदस्य सचिव)

18. संशोधन / शिथिलीकरण / निरसन

नीति अंतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -

18.1 इस नीति को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

18.2 इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा,

18.3 नीति के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा।

19. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

<u>परिशिष्ट- अ</u>

अपात्र इकाईयों की सूची

01. व्यवसाय और सेवा क्षेत्र की गतिविधियाँ

02. बीयर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)

03. स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग

04. सभी प्रकारों के पान मसाला और गुटखा विनिर्माण

05. तम्बाकू और तम्बाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण

06. समस्त पॉलिथीन बैग और 40 माइक्रोन या उससे कम मोटाई के प्लास्टिक बैग का विनिर्माण

07. केंद्रीय या राज्य सरकार या उनके उपक्रम द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयाँ

08. स्टोन क्रशर

09. खनिजों की पिसाई, केल्सिनेशन (गिट्टी से बनाई जाने वाली कृत्रिम रेत के निर्माण को छोड़कर)

10. राज्य सरकार/राज्य सरकार के उपक्रम का अशोधी/चूककर्ता

11. सभी प्रकार की खनन गतिविधियाँ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हो)

12. लकड़ी के कोयले (चारकोल) का विनिर्माण

13. सोयाबीन पर आधारित सभी प्रकार के उद्योग

14. सभी प्रकार के सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट (ऐसी खाद्य तेल एक्पैलर इकाईयाँ, जहाँ संयंत्र और मशीनरी में निवेश रू. 1 करोड़ से अधिक नहीं है, को छोड़कर)

15. समस्त प्रकार के उपयोग किये गये तेलों की रिफायनिंग तथा खाद्य तेल रिफायनरी

16. सीमेंट/क्लिंकर विनिर्माण इकाईयाँ

17. सभी प्रकार की प्रकाशन और मुद्रण प्रक्रियायें (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स मुद्रण को छोड़कर)

18. सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुएँ

19. आरा मिल और लकड़ी की प्लेनिंग

20. लोहे/स्टील स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉकों एवं किसी अन्य किसी आकार में बदलना

21. विद्युत उत्पादक इकाईयाँ

22. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 के संदर्भ में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा घोषित कोई उद्योग